<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 79

04 फरवरी, 2019 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा

79. श्री फिरोज़ वरुण गांधी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'मेक इन इंडिया' योजना के तहत देश में इस्पात उत्पादन में दर्ज की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) अमरीका द्वारा लगाए गए इस्पात, आयात प्रशुल्क संबंधी प्रतिबंधों ने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में घरेलू इस्पात की मांग व आपूर्ति को किस प्रकार प्रभावित किया है;

(ग) 'सेल' और अन्य सरकारी उपक्रमों को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षणवादी तरीकों के विरुद्ध सुरक्षोपायों से लैस करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या बाजार के लिए निम्न गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन करने का आरोप लगाया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस मसले का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) भारतीय इस्पात अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मिशन (एसआरटीएमआई) के अंतर्गत संचालित/संचालित की जा रही परियोजनाओं की स्थिति और ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क): सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 और सरकारी खरीद में घरेलू रूप से निर्मित लौह और इस्पात को वरीयता प्रदान करने की नीति अधिसूचित की है, जो घरेलू उत्पादन और इस्पात की खपत में सुधार करने के लिए सुविधाजनक वातावरण सृजित करती हैं। देश में कुल इस्पात उत्पादन वर्ष 2014-15 में 88.98 एमटी से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 103.13 एमटी हो गया है।

(ख): यूएसए द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है क्योंकि भारत का यूएसए को निर्यात टैरिफ लागू होने से पहले सिर्फ 2.2 प्रतिशत ही था।

(ग): घरेलू उद्योग को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं:

- इस्पात पर सीमा-शुल्क दो चरणों में बढ़ाया गया है - जून 2015 और अगस्त 2015 में 2.5% प्रत्येक।
- फरवरी 2016 में निर्दिष्ट इस्पात उत्पादों पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) लगाया गया है। एमआईपी फरवरी 2017 में समाप्त हो चुका है।
- भारत सरकार ने हॉट रोल्ड कॉइल्स पर 20 प्रतिशत सेफगार्ड ड्यूटी लगाई, जो अनंतिम रूप से सितम्बर 2015 में और अंतिम रूप से 2016 में अधिसूचित करवाई गई।
- भारत सरकार ने हॉट रोल्ड नॉट इन कॉइल्स पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाई, अनंतिम रूप से अगस्त में और अंतिम रूप से नवम्बर 2016 में।
- सरकार ने अगस्त, 2016 में अनंतिम रूप से एचआर क्वायल्स हेतु एंटी-डंपिंग उपाय किए और इसे मई, 2017 में अंतिम रूप से अधिसूचित किया गया।
- सरकार ने अगस्त, 2016 में अनंतिम रूप से सीआरआर क्वायल्स हेतु एंटी-डंपिंग उपाय किए और इसे मई, 2017 में अंतिम रूप से अधिसूचित किया गया।
- सरकार ने सितंबर, 2016 में अनंतिम रूप से वायर रॉड्स हेतु एंटी-डंपिंग उपाय किए और इसे अक्टूबर, 2017 में अंतिम रूप से अधिसूचित किया गया।
- सरकार ने जनवरी, 2017 में अनंतिम रूप से कलर कोटिड स्टील हेतु एंटी-डंपिंग उपाय किए और इसे अक्टूबर, 2017 में अंतिम रूप से अधिसूचना जारी की गई।
- एसएस कोल्ड रोल्ड 600-1250 एमएम का सनसेट रिव्यू, जिसके लिए 2020 तक शुल्क बढ़ाया गया। चीन पर सितंबर, 2017 से 5 वर्षों के लिए 18.95% की दर से अतिरिक्त काउंटर-वेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) लगाई गई।
- सरकार ने मार्च, 2014 में एसएस हॉट रोल्ड उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया, जो वर्ष 2020 तक वैध है। सितंबर, 2017 से 5 वर्षों के लिए चीन पर 18.95% की दर से अतिरिक्त काउंटर-वेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) लगाई गई।

(घ): भारत सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश नामशः इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2018 जारी किया, जिसमें 47 कार्बन/अलॉय स्टील और 6 स्टेनलेस स्टील उत्पाद शामिल हैं। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश सव-स्टैंडर्ड/द्वितीयक और दोषपूर्ण उत्पादों के आयात और विनिर्माण को प्रतिबंधित करता है।

(ङ): स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑफ इंडिया (एसआरटीएमआई) 1860 के सोसाइटी एक्ट XXI के तहत पंजीकृत सोसाइटी है। सोसाइटी की गवर्निंग बोर्ड द्वारा की जाने वाली आरएंडडी परियोजनाओं का निर्णय लिया जाता है।

****